मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३-ख का स्थापन.

२. मूल अधिनियम की धारा ३-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रवेश कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध.

"३-ख. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर और धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में, प्रवेश कर का संग्रहण करने और उसे राज्य सरकार को चुकाने हेतु रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, सक्षम प्राधिंकारी या माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी.

(२) यदि माल का परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन यथा अपेक्षित कर की राशि पूर्णत: या अंशत:, संग्रहण करने में असफल रहता है या संग्रहण करने के पश्चात् उसे राज्य सरकार को चुकाने में असफल रहता है तो वह ऐसे कर के संबंध में, ऐसे व्यतिक्रम के लिए कर का भुगतान करने के लिए दायी समझा जाएगा और वह कर के अतिरिक्त ३ प्रतिशत प्रतिमाह से अनधिक की ऐसी दर से, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा.

(३) ऑनलाइन शापिंग या ई-व्यापार के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य में राज्य के बाहर से माल का परिवहन करवाने वाला व्यक्ति ऐसे प्ररूप में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए एक पत्रक अभिप्राप्त करेगा और अपने साथ रखेगा. यदि ऐसा व्यक्ति इस अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है, तो कोई जांच चौकी अधिकारी, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी या ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा. यदि इस धारा के अधीन किसी जांच चौकी अधिकारी या मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उस माल के कारण शास्ति अधिरोपित की गई है जिसके लिए व्यक्ति ने विनिर्दिष्ट पत्रक अभिप्राप्त नहीं किया है या अपने साथ नहीं रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के कर निर्धारण के दौरान ऐसे माल के कारण कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी:

परन्तु यदि माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति ने मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व, पत्रक का पूर्ण विवरण विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर अपलोड करा दिया है, तो यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा पत्रक प्राप्त करने और अपने साथ रखने की अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है.